

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/103

भोपाल दिनांक 28/01/2022

// आदेश //

कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 (3) के अन्तर्गत कु0 अंकिता सिंह, सहायक ग्रेड-3, मूल कृषि उपज मण्डी समिति बरघाट जिला सिवनी को समान पद एवं वेतनमान में आदेश जारी दिनांक से अन्य आगामी आदेश तक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मंडी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) (क) के अनुसार मूल मंडी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी की सेवा में आवश्यकता न होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापस की जा सकती है।

(विकास नरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/104

भोपाल दिनांक 28/01/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग जबलपुर, संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति से तत्काल अवगत करायें।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बरघाट जिला सिवनी। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति से तत्काल अवगत करायें।
4. कु0 अंकिता सिंह, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मंडी समिति बरघाट जिला सिवनी की ओर पालनार्थ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल